## OFFICE OF THE STATE NODAL OFFICER

(CET-B.Ed.-2025)

#### **NODAL UNIVERSITY : LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY**

KAMESHWARANAGAR, DARBHANGA

### **Guidelines for Centralised Counselling and Admission**

## (केंद्रीकृत काउंसलिंग और नामांकन के लिए दिशा-निर्देश)

# <u>Modalities to take admission in Centralised Counselling and Admission:</u>

- Whole process will be centralized through the Office of the S.N.O and it will be called as **Centralised Counselling and Admission.**
- 2. Document verification and Admission slip generation will be held under the supervision of University Nodal Officer of the concerned University.
- 3. Candidate will check the seat(s) availability for the respective College/Department.
- 4. Candidate must have qualified for the CET-B.Ed.-2025, and have registered for Counselling.
- 5. It is compulsory to opt for colleges/department to participate in the round of counselling and admission.
- 6. There is no counseling fee in this round for the college preference selection.
- 7. Candidate can opt for maximum two colleges with preference in online mode on the portal by their login credentials. There is no compulsion to select a minority college for the minority candidates.
- 8. Those Candidates who were allotted college/department in earlier rounds of counselling are not eligible to participate in this round of counselling.
- Allotment of the college will be done as per merit and roster (where applicable), preference and as per the schedule.
- 10. Candidates may see the allotment of college/department by their login credentials.
- 11. On acceptance of the allotted Institute candidate have to pay "Partial Admission Fee" of Rs. 3000.00 (Three Thousand Only) (non-refundable) through online on the portal by login credentials.
- 12. Candidates will report as per the schedule and place for the document verification and admission.
- 13. Those candidates who have not been registered for counselling, their names will not figure on the dashboard, and they shall not be able to participate in the counselling/admission process.

केंद्रीकृत काउंसलिंग और नामांकन लेने के तरीके:

1. पूरी प्रक्रिया एसएनओ के कार्यालय के माध्यम से केंद्रीकृत की जाएगी और इसे केंद्रीकृत काउंसलिंग और प्रवेश कहा जाएगा।

2. दस्तावेज़ सत्यापन और प्रवेश पर्ची जैसे कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी की देखरेख में होगा।

3. अभ्यर्थी संबंधित कॉलेज/विभाग के लिए सीट की उपलब्धता की जांच करेंगे।

4. CET-B.Ed.-2025 के अर्हता प्राप्त को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा।

5. काउंसलिंग और प्रवेश के दौर में भाग लेने के लिए कॉलेज/विभाग का चयन करना अनिवार्य है।

6. इस चरण में कॉलेज वरीयता चयन हेतु कोई काउंसलिंग शल्क नहीं है।

7. अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में वरीयता के साथ अधिकतम दो कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक कॉलेज चुनने की कोई बाध्यता नहीं है।

8. वे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के पिछले दौर में कॉलैज/विभाग आवंटित किया गया था, वे काउंसलिंग के इस दौर में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

9. कॉलेज का आवंटन मेरिट और रोस्टर (जहां लागू हो), वरीयता और शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा।

 अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा कॉलेज/विभाग का आवंटन देख सकते हैं।

11. आवंटित संस्थान की स्वीकृति पर अभ्यर्थी को लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से 3000.00 (तीन हजार मात्र) (गैर-वापसी योग्य) रुपये का "आंशिक प्रवेश शुल्क" का भुगतान करना होगा।

12. अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन और प्रवेश के लिए शेड्यूल और स्थान के अनुसार रिपोर्ट करेंगे।

अर स्थान पर अनुसार गर्ने । 13. जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उनके नाम डैशबोर्ड पर नहीं आएंगे और वे काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे।

राज्य नोडल पदाधिकारी

Munpall 5.25